6.01114/10
24/6/10

संख्या– 1768 /38–1–2010–35 पीएमजीएसवाई/2009

प्रेषक,

आर0एन0 सिंह
विशेष सचिव।
उ0प्र0 शासन।

31-5-10
1768/RA/CRR/10

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 28 मई, 2010

ACEO, UPRRDA / FC

विषय– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–2011 में आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–386/31(4)/यू.पी.आर.आर.डी.ए./2010–11, दिनांक 27.04.2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत अन्य कार्यदायी संस्थाओं को सेन्टेज चार्जेज का भुगतान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 20,00,000/– (रू0 बीस लाख मात्र) के सापेक्ष सेन्टेज चार्जेज के भुगतान हेतु कुल रू0 10,00,000/– (रूपये दस लाख मात्र) को निम्न शर्तों के अधीन अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

31.5.2010
(संजीव कुमार)
आयुक्त
ग्राम्य विकास, उ0 प्र0

FC
1/6/10

1) अन्य कार्यदायी संस्थाओं का चयन एवं उन्हें देय सेन्टेज चार्जेज के भुगतान के सम्बन्ध मे शासनादेश संख्या–पी 779/38–1–2008–59 पीएमजीएसवाई/08, दिनांक 31.07.2008 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2) यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951/दस–2010–231/2010, दिनांक 26.03.2010 के द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष धनराशि का आहरण एवं व्यय किया जाय।

3) उक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय–समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशों को ध्यान में रख कर ही किया जाय तथा जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय

4) धनराशि जिन मदों के लिए स्वीकृत की जा रही है। व्यय सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त उन्ही मदों में किया जाय, अन्य मदों में व्यय कदापि न किया जाय।

––2/––

5) स्वीकृत धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जाय। किसी मद में कोई धनराशि शेष बचती है तो उसे शासन को समर्पित किया जाय।

6) व्यय धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार/शासन को उपलब्ध कराया जाय।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के लेखा शीर्षक– "5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय–आयोजनागत–04 जिला तथा अन्य सड़कें–337–सड़क निर्माण कार्य– 04–प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सेन्टेज चार्ज–42–अन्य व्यय" के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951/दस–2010–231/2010, दिनांक 26.03.2010 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

/

(आर0एन0 सिंह)

विशेष सचिव।

संख्या–1768/38–1–2010, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
3. निदेशक, सांख्यिकीय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
6. राज्य योजना आयोग– 1/2
7. नियोजन अनुभाग–3
8. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–2/वित्त आय–व्ययक अनुभाग–2
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुरजन)

उप सचिव।

५

5/28/2010rathaur go uo